फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री अजय चौधरी पिता श्री रामपाल चौधरी नि0 A-77, नई आबादी, शहीद भगत सिंह मार्ग, कांकरोली, जिला राजसमन्द

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 58/2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 25.07.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांक :– एफ.1()सू0अ0,05/2025/598 दिनांक 15.07.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पत्र दिनांक 19.05.2025 का सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय को 21.05.2025 को प्राप्त हुआ है। प्रार्थी अपीलार्थी के आवेदन में ईप्सित सूचना दिनांक 12.05.2025 को जिला कलक्टर राजसमन्द को समस्त सनातन धर्म प्रेमी एवं गौ भक्त एवं किसान, बजरंग दल, अखाड़ा, आदिवासी परिषद एवं देशभक्तों द्वारा बिन्दु संख्या 01 से 05 तक की सम्पूर्ण की गई कार्यवाही की मूल रेकॉर्ड से मिलान कर नकल चाही गई एवं सम्पूर्ण जमीन को अब्दुल रहमान प्रकरण की तर्ज पर आवंटन खारिज की जिसकी नकल की सूचना चाही गई। कार्यालय के पत्रांक 424 दिनांक 27.05.2025 से प्रार्थी को सूचित करते हुए अवगत कराया कि ईप्सित सूचना विशिष्टिविहीन होने से अधिनियम की धारा 6(1)(बी) के अनुसार चाही गई सूचना में विशिष्टियां अंकित करना व सूचना से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अपेक्षित है। अधिनियमानुसार, सामग्री से निष्कर्ष निकाल कर तथ्यों को खोजकर उपलब्ध कराना प्रावधानों के तहत प्रावधित नहीं है इस हेतु विशिष्टियां अंकित कर या सूचना से संबंधित कोई भी दस्तावेज या पत्रादि हो तो प्रस्तुत आवेदन करने का श्रम करे। इस संबंध में प्रार्थी को जरिये डाक से सूचना प्रेषित की गई। अतः प्रार्थी के आरटीआई आवेदन में ईप्सित सूचना के संबंध में प्रार्थी को निश्चित समयावधि इस कार्यालय के पत्रांक 424 दिनांक 2705.2025 से अवगत कराया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया।	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना विशिष्टिविहीन होने से उक्त अधिनियम की धारा 6(1)(बी) के अनुसार चाही गई सूचना में विशिष्टियां अंकित करना व सूचना से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अपेक्षित होने और उक्त बाबत जरिये पत्र क्रमांक पत्रांक 424 दिनांक 2705.2025 से अपीलार्थी को सूचित कर दिये जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद